

महत्वपूर्ण
E-mail

पत्र सं०-09 / विविध-07-03 / 2020:-
झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग।

विषय :-

आयकर अधिनियम 1961 तथा आयकर नियमावली 1962 के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंग:-

योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखंड, राँची का पत्रांक-70
दिनांक-06.02.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि पत्र में वर्णित आयकर अधिनियम 1961 तथा आयकर नियमावली 1962 के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने संबंधी दिये गये निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

अनु०:- यथावत।

विश्वासभाजन

ह/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)।

ज्ञापांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखंड, राँची को उनके पत्रांक-70 दिनांक-06.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक:-

1429

दिनांक:-

25/02/2020

प्रतिलिपि:- बेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/2020

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)